न्यायामूर्ति इकबाल सिंह के समक्ष

गुल्फ एयर कंपनी,-याचिकाकर्ता

बनाम

नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड और अन्य,-प्रतिवादीगण

1999 का सी. आर. 1019

7 सितंबर, 1999

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-धारा 115-वायु द्वारा वहन अधिनियम, 1972 - नियम 29-दूसरी अनुसूची-क्षेत्राधिकार-लुधियाना में दायर मुकदमा -

गल्फ एयर कंपनी बनाम नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड और अन्य 239

(न्यायामूर्ति इकबाल सिंह)

वाहक आम तौर पर बहरीन का निवासी होता है-दिल्ली में अपने कार्यालय के प्रमुख स्थान पर समझौता किया गया- दिल्ली में परिवहन के लिए सामान सौंपा गया - लुधियाना अदालतों को मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है-वायुयान द्वारा वहन अधिनियम एक विशेष अधिनियम है - सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित शर्तों को हटा दिया गया।
अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की दूसरी अनुसूची (अध्याय III) में निहित नियम 18,19,24 (1) और धारा 29 (1) के प्रासंगिक प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि केवल उन्हीं न्यायालयों को ऐसे वाहक के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा जहां (ए) वाहक सामान्य रूप से निवासी है (बी) या उसका व्यवसाय का प्रमुख स्थान है (सी) या एक प्रतिष्ठान है जिसके द्वारा अनुबंध किया गया है, और (डी) या गंतव्य स्थान पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के समक्ष। माना जाता है कि वाहक बहरीन में सामान्य निवासी है। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान मामले में गंतव्य मैनचेस्टर (यू. के.) था। दोनों पक्षों ने दिल्ली में एक समझौता किया। 14 दिसंबर, 1992 के वायुमार्ग बिल के अवलोकन, जिसकी एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है, से पता चलता है कि माल को दिल्ली में याचिकाकर्ता-कंपनी को सौंप दिया गया था ताकि उसे प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 2 को मैनचेस्टर (यू. के.) में प्रसव के लिए हवाई मार्ग से ले जाया जा सके। अतः लुधियाना के न्यायालयों को, किसी भी तर्क के विस्तार से, वर्तमान मामले में अधिकार क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है।

(पैरा 8)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि वायु द्वारा वहन अधिनियम, 1972 एक विशेष अधिनियम है और इसलिए, इसके प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर प्रबल होंगे, जो एक सामान्य अधिनियम है। चूँकि अधिनियम ने उन न्यायालयों को निर्धारित किया है जिनके पास एक वाहक के खिलाफ एक प्रेषक/प्रेषिती द्वारा क्षति के लिए कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 16 से 20 में निहित शर्तों लागू नहीं होंगी।

(पैरा 8)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरलीन अरोड़ा के साथ अधिवक्ता एम. वाधवानी

ए. के. मित्तल, अधिवक्ता, प्रत्यार्थी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

न्यायामूर्ति इकबाल सिंह

(1) सिविल जज (सीनियर डिवीजन) लुधियाना द्वारा 1 दिसंबर 1998 को पारित आदेश

के खिलाफ व्यथित होकर, प्रतिवादी - याचिकाकर्ता यानी गल्फ एयर कंपनी (इसके बाद याचिकाकर्ता- कंपनी के रूप में जाना जाएगा) ने सीपीसी (इसके बाद इसे संहिता के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 115 के तहत यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

(2) रुपये की वसूली के लिए मुकदमा ब्याज सहित 22,39,450, वादी-प्रतिवादी नंबर 1 यानी नाहर-स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, लुधियाना (इसके बाद प्रतिवादी-मिल के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर किया गया था। यह राशि प्रतिवादी-मिल द्वारा प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को बेची गई वस्तुओं की कीमत की वसूली से संबंधित है। याचिकाकर्ता कंपनी के खिलाफ मुकदमा 14 दिसंबर, 1992 के वायुमार्ग बिल पर आधारित है।

(3) लिखित बयान के साथ, याचिकाकर्ता-कंपनी ने संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर किया और इस आधार पर वाद को खारिज करने की प्रार्थना की कि प्रतिवादी-मिल ने कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया था और लुधियाना की अदालतों को वायु द्वारा वहन अधिनियम 1972 (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की दूसरी अनुसूची के नियम 29 को देखते हुए मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(4) निचली अदालत ने निम्नलिखित मुद्दा तैयार कियाः—

"क्या लुधियाना की अदालतों के पास प्रतिवादियों के खिलाफ वर्तमान मुकदमे पर विचार करने और मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है?ओ. पी. डी.

(5) 1 दिसंबर, 1998 के विवादित आदेश के माध्यम से, निचली अदालत ने प्रतिवादियों के खिलाफ उक्त मुद्दे का फैसला इस प्रकार कियाः—

"वायुमार्ग बिल 072-2468-5990 के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त दस्तावेज़ के बाईं ओर माल भेजने वाले का नाम नाहर स्पिनिंग मिल्स, औद्योगिक क्षेत्र, लुधियाना के रूप में लिखा गया था। प्रेषिती का नाम प्रेषक के नाम के ठीक नीचे विजय होजरी कंपनी, 75 हाई स्ट्रीट, मैनचेस्टर के रूप में लिखा हुआ है।यह आगे दर्शाता है कि यह वायुमार्ग बिल 14 दिसंबर, 1992 को नई दिल्ली में लिया गया है। इस विधेयक के अवलोकन से यह नहीं पता चलता कि इस विधेयक से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से दिल्ली होगा।"

(6) मैंने याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री एम. वाधवानी, सहायक अधिवक्ता श्री हरलीन अरोड़ा और प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री ए. के. मित्तल को सुना है और मामले के अभिलेखों को देखा है।

(7) इस याचिका में यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या लुधियाना की अदालतों के पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है या नहीं।इस बिंदु को तय करने के लिए, अधिनियम की दूसरी अनुसूची (अध्याय III) में निहित नियम 18,19,24 (1) और 29 (1) के प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है

(1) किसी भी पंजीकृत सामान या किसी भी कार्गो के नष्ट होने या खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में हुई क्षति के लिए वाहक उत्तरदायी है, यदि वह घटना हवाई मार्ग से परिवहन के दौरान हुई हो।

(2) पूर्ववर्ती उपनियम के अर्थ में हवाई मार्ग से वहन वह अवधि शामिल है जिसके दौरान सामान या कार्गो वाहक का प्रभारी होता है, चाहे वह किसी हवाई अड्डे में हो या किसी विमान में, या, किसी हवाई अड्डे के बाहर उतरने में, किसी भी स्थान पर।

(3) हवाई मार्ग से परिवहन की अवधि हवाई अड्डे के बाहर किए गए भूमि, समुद्र या नदी द्वारा किसी भी परिवहन तक नहीं फैली हुई है।तथापि, यदि ऐसी गाड़ी लदान, वितरण या यानांतरण के प्रयोजन के उद्देश्य से हवाई परिवहन के लिए अनुबंध के निष्पादन में होती है, तो किसी भी नुकसान को, इसके विपरीत सबूत के अधीन, किसी घटना का परिणाम माना जाता है जो हवाई परिवहन के दौरान हुई थी।

19. यात्रियों, सामान या माल के परिवहन में देरी से होने वाले क्षति के लिए वाहक उत्तरदायी होता है।

24. (1) नियम 18 और 19 के अंतर्गत आने वाले मामलों में क्षति के लिए कोई भी कार्रवाई, चाहे वह कितनी भी स्थापित क्यों न हो, केवल इन नियमों में निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अधीन ही की जा सकती है।

29. (1) क्षतिपूर्ति के लिए कार्रवाई, वादी के विकल्प पर, उच्च अनुबंध पक्षों में से किसी एक के क्षेत्र में, या तो उस क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष की जानी चाहिए जहां वाहक सामान्य रूप से निवासी है, या उसका व्यवसाय का मुख्य स्थान है, या स्थापना जिसके द्वारा अनुबंध किया गया है या गंतव्य स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय के समक्ष किया गया है।

(8) उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि केवल उन न्यायालयों के पास किसी वाहक के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा जहां (ए) वाहक सामान्य रूप से निवासी है (बी) या उसके व्यवसाय का प्रमुख स्थान है (सी) या एक प्रतिष्ठान है जिसके द्वारा अनुबंध किया गया है, और (डी) या गंतव्य के स्थान पर अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष। मान लिया है कि वाहक बहरीन में सामान्य निवासी है। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान मामले में गंतव्य मैनचेस्टर (यू. के.) था। था। दोनों पक्षों ने दिल्ली में एक समझौता किया। 14 दिसंबर, 1992 के वायुमार्ग बिल के अवलोकन, जिसकी एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है, से पता चलता है कि माल को दिल्ली में याचिकाकर्ता-कंपनी को सौंप दिया गया था ताकि उसे प्रतिवादी संख्या 2 को मैनचेस्टर (यू. के.) में प्रसव के लिए हवाई मार्ग से ले जाया जा सके। अतः लुधियाना के न्यायालयों को, किसी भी तर्क के विस्तार से, वर्तमान मामले में अधिकार क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता-कंपनी के खिलाफ प्रतिवादी-मिल द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र केवल दिल्ली की अदालतों के पास है। वायु द्वारा वहन अधिनियम, 1972 एक विशेष अधिनियम है और इसलिए, इसके प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर प्रबल होंगे, जो एक सामान्य अधिनियम है। चूँकि अधिनियम ने उन न्यायालयों को निर्धारित किया है जिनके पास एक वाहक के खिलाफ एक प्रेषक/प्रेषिती द्वारा क्षति के लिए कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 16 से 20 में निहित शर्तों लागू नहीं होंगी।

(9) यह अधिनियम 1972 में भारत गणराज्य की संसद द्वारा अनुच्छेद 253 के तहत परिकल्पित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो निम्नानुसार हैः—

"अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधान। — इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद, संसद को किसी अन्य देश या देश के साथ किसी संधि, समझौते या समझौते या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ या अन्य निकाय में किए गए किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए भारत के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बनाने की शक्ति है।

(10) अधिनियम की धारा 4 (1) में निर्धारित किया गया है कि दूसरी अनुसूची में निहित नियम, वाहक, यात्रियों, प्रेषकों, प्रेषितियो और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और देनदारियों से संबंधित संशोधित सम्मेलन के प्रावधानों के कारण, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, हवाई मार्ग से किसी भी गाड़ी के संबंध में भारत में कानून का बल है, जिस पर वे नियम लागू होते हैं, भले ही वहन करने वाले विमान की राष्ट्रीयता कुछ भी हो।

(11) अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और संविधान के अनुच्छेद 253 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालयों को सावधान रहना आवश्यक है कि उक्त प्रावधानों में प्रयुक्त शब्दों के साथ उनके सामान्य अर्थ से अधिक या कम कुछ भी न जोड़ा जाए। जिस संदर्भ में वे प्रकट होते हैं और कानून की अनुसूची के अनुरूप हैं।

(12) प्रत्यार्थी के विद्वान वकील का यह तर्क कि लुधियाना में दीवानी न्यायालयों की अधिकारिताबाधित नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता-कंपनी के खिलाफ प्रतिवादी-मिल की कार्रवाई का कारण अन्य प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त है, अधिनियम में निहित प्रावधानों, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत और समझाया गया है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 को देखते हुए कोई बल नहीं है।

(13) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, याचिकाकर्ता-कंपनी के लिए लुधियाना की अदालतों का अधिकार

क्षेत्र सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया है। यदि प्रतिवादी-मिल के पास याचिकाकर्ता-कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण है, तो उसके लिए उचित मंच (प्रतिवादी-मिल) दिल्ली के न्यायालयों में होगा क्योंकि वहां की अदालतों के पास याचिकाकर्ता-कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के कारण पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। तदनुसार, यह याचिका स्वीकृत की जाती है। निचली अदालत द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है, हालांकि, प्रतिवादी-मिल लुधियाना की अदालतों में अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है और निचली अदालत कानून के अनुसार उसी के साथ आगे बढ़ेगी।

जे एस टी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनजोत कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
गुरूग्राम, हरियाणा